Talukas have so far been covered under DPAP Scheme, and the specific development programmes undertaken in the drought prone and desert areas of the Kuchh region in these years.

(c) the programme drawn up by Government for the development of such areas during the remaining period of the Eighth Five Year Plan.

(d) whether Government have reviewed the earlier schemes sponsored for the desert and drought prone areas; and

(e) if so, the results thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b). The Kuchh District of Gujarat is covered under Drought Prone Areas Programmes (DPAP) only. An amount of Rs. 129.50 lakhs each was allocaetd to the district under DPAP during 1991-92 and 1992-93. In 1993-94 the allocation was Rs. 194.25 lakhs. Mandvi and Mundra talukas are not covered under the Programme.

(c) to (e). The Drought Prone Areas Programme and Desert Development Programme were recently reviewed by Technical Committee. The Committee is of the view that the Programmes have not been able to make the desired impact because of various reasons. The Committee has recommended implementation of these programmes on watershed basis and through effective participation of people and wherever possible with the involvement of voluntary organisations.

गुजरात में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता

1569. श्री राजू भाई ए० परमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात सरकार को 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के वर्षों के दौरान फसल बीमा योजना के अतर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में अगले वित्तीय वर्ष के लिए क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र के किसानों ने कितनी राशि का फसल बीमा कराया था; कितनी राशि प्राप्त करने के वे हकदार हैं; इसमें से उन्हें कितनी राशि का भुगतान हो चुका है और कितनी राशि बकाया है; और

(घ) सरकार बकाया राशि का भुगतान कब तक कर देने का विचार रखती है और बकाया राशि रहने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) भारत सरकार राज्य सरकारों को व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सहायता नहीं देती है। तथापि, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के दाव 2:1 के अनुपात में वहन किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा गुजरात राज्य को अदा किए गए क्षतिपूर्ति के दावे निम्नवत हैं:–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	प्रदत्त दावे
1991–92	शून्य
1992–93	53.91
1993–94	83.05

(ख) इस योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं क्योंकि क्षतिपूर्ति के दावों की देयता संबंधी जानकारी फसल मौसम के समाप्त होने पर ही होती है।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है (**नीचे देखिए**)।

(घ) वर्ष 1992–93 तक कोई राशि बकाया नहीं है। खरीफ 1993 के लिए प्राप्त दावों की भारत सरकार छानबीन कर रही है तथा रबी 1993–94 के दावे प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	वर्ष	बीमांकित राशि	स्वीकृत अथवा निपटाए गए दावे	टिप्पणी
1	1991–92	247.70	114.96	निपटाए जाने के लिए कोई बकाया दावे शेष नहीं हैं ।
2	1992–93	245.10	शून्य	कोई दावे नहीं किए गए थे ।
3	1993–94	—	—	1993–94 के लिए पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

जैव विविधता का परिरक्षण, अनुरक्षण और संवर्धन

1570. **श्री सोमपाल :**

श्री शारदा महन्ती :

डा० नौनिहाल सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जैव विविधता के परिरक्षण अनुरक्षण एव संवर्धन हेतु कोई समयबद्ध लक्ष्यपरक कार्यक्रम बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को गति देने और सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व किन विभागों अथवा संस्थाओं को सौंपा गया है; और

(ग) इस कार्यक्रम के लिए क्या-क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं; और उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : : (क) और (ख) पौधों, पशुओं तथा मछलियों की जैव विविधता के परिरक्षण तथा उसे बढ़ावा देना और आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण, वे क्षेत्र हैं देश में जिनको प्राथमिकता दी जा रही है तथा जिन पर काम किया जा रहा है ।

इस विषय पर काम में तेजी लाने और उसे बढ़ावा देने की प्रमुख (नोडल) ऐजन्सी पर्यावरण तथा वन मंत्रालय है लेकिन इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण विभाग संस्थायें इस काम में लगे हैं; वे इस प्रकार हैं :—

(1) जैव प्रौद्योगिकी विभाग

(2) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत (अन्य आयोजनाओं के अलावा) कुछ चुने हुए भेषजीव तथा संगधीय पौधों के प्रगुणन और संरक्षण का काम किया जा रहा है । वानिकी के क्षेत्र में जैव विविधता संबंधी काम पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं ।

पौधों की जिन जातियों के विलुप्त होने का खतरा है उनका जैव प्रौद्योगिकीय